Office of the Accountant General (A&E),
Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad – 500 004

PM/VI/2015-16/OG-GO/ 03.2016

To
The Director of Treasuries and Accounts
Telangana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 119% from 01.07.2015 to UP pensioners/Family Pensioners

Ref: 1. Govt of Uttar Pradesh G.O.No 23/2015/SA-3-G.I.-21/X-2015-301/2000T.C. dt 16.12.2015 of Finance (General) section-and No.20/2015/1256/70-6-2015-17(39)/94 dated 18.12.2015.

2. Accountant General (A&E)II Uttar Pradesh SSA No PM/DR/UP/1684 dt 12.02.2016

***

I am to enclose herewith copy of Govt. orders issued by Uttar Pradesh Government and received under Special Seal Authority from the Accountant General (A&E) Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to

The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

290.758551
xxx

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

सत्यमेव जयते

4133 88
2/3/16

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/U.P./ 1684 **Dt: 12/02/2016**
LID 24993

To,

Accountant General (A&E), Andhra Pradesh
~~Saifabad~~......................
..............Hyderabad 500004

Subject:- (1)G.O. No. 23/2015/Sa-3-G.I.-21/X-2015-301/2000 T.C. dt. 16/12/2015 reg.
(2) No. 20/2015/1256/70-6-2015-17(39)/94TC dated 18.12.2015 reg.

I am forwarding herewith copies of office memo. No. G.O. 23/2015/Sa-3-G.I.-21/X-2015-301/2000 T.C. dt. 16/12/2015 and No. 20/2015/1256/70-6-2015-17(39)/94 dated 18.12.2015 on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

Accounts Officer/Pension

OGP

Office of the Accountant General (A&E)
INWARD
29 FEB 2016
No. ....
Andhra Pradesh & Telangana
Hyderabad-500 004

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सामान्य) अनुभाग-3
संख्या- 23/2015/सा-3-जी0आई0-21/दस-2015-301/2000 टी0सी0
लखनऊ: दिनॉक : 16 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:-राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2015/सा-3-जी0आई0-11/दस-2015-301/2000 टी0सी0, दिनॉक 08 जून, 2015, जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनॉक 01 जुलाई, 2015 से 113 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 08 जून, 2015 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनॉक 01 जुलाई, 2015 से महंगाई राहत की 06 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनॉक 01 जुलाई, 2015 से 06 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 113 प्रतिशत से बढ़कर 119 प्रतिशत हो जायेगी।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
No.23/2015/Sa-3-G.I.- 21 /X-2015-301/2000 T.C.
Dated : Lucknow: 16 December , 2015

Office - Memorandum

Subject :Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. 08/2015/Sa-3-G.I.-11/X-2015-301/ 2000 T.C., dated June 08, 2015 on the above mentioned subject, sanctioning additional installment of dearness relief with effect from January 01, 2015 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 06 percent, with effect from June 08, 2015, the rate of dearness relief admissible to all civil/ family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2- As a consequence of the above-mentioned 06 percent rise, the dearness relief payable on the pension will rise from existing 113 percent to 119 percent with effect from July 01, 2015.

--2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

SSA DR- 203

3- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या-19/2015/सा-3-जी0आई0-19/दस-2015-301/2000, दिनॉक 12 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी कर दिया गया है।

5- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

6- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-

3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings/ corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners / family pensioners have been issued vide endorsement number- 19/2015-G-3-G.I.-19/X-2015-301/2000, dated October 12, 2015.

5- These orders will also be applicable to the pensioners of the institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6- As per orders issued in O.M. No. A - 1- 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing

-3/-

ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

7- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

सेवा में,

(1)- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

(2)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

authorities on the basis of this office memorandum alone.

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

Neel Ratan Kumar
Special Secretary, Finance.

To,

(1)- All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

(2)- Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit-1,2, Uttar Pradesh] Allahabad.

(3)- Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.

AAO | Pen (M)
10.2.16
Farid
10/2/16

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

SSADR-203

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-6
संख्या-20/2015/1256/सत्तर-6-2015-17(39)/94 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

84756251
05/01/16

कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धिपत्र

वेतन समिति, उ.प्र. 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के दिनांक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4382/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 एवं शुद्धिपत्र कार्यालय-ज्ञाप संख्या–5211/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 17-12-2009 द्वारा किया गया है।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धिपत्र संख्या-सा.-3-1358/दस-2010 दिनांक 19-07-2010 एवं कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धिपत्र संख्या-सा.-3-जी.आई.-02/दस-2014-308/97 टी.सी. दिनांक 14 जुलाई, 2014 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु निर्धारित न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरों के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के दिनांक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या-4382/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 के प्रस्तर-3 को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित एवं संलग्न तालिका के अनुसार न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन को निर्धारित संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

वर्तमान व्यवस्था		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके द्वारा धारित पद के दिनांक 01-01-1996 से लागू वेतनमान के दिनांक 01-01-2006 से प्रतिस्थापित पे-बैंड के न्यूनतम तथा सम्बन्धित ग्रेड-पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहां यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा धारित पद के दिनांक 01-01-1996 से लागू वेतनमान के दिनांक 01-01-2006 से प्रतिस्थापित पे-बैंड के न्यूनतम तथा सम्बन्धित ग्रेड-पे के योग के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।		"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (Corresponding) वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड-पे के योग से 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (Corresponding) वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड-पे के योग से 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

SSADR-189

-द्वितीय
34993
05 JAN 2016
अनुभाग

.....क्रमश:

(3) संलग्न तालिका में दी गयी दरें इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी अर्थात् इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप न तो कोई एरियर देय होगा और न ही कोई वसूली पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर से की जायेगी।

(4) पूर्वोक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4382/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त कार्यालय-ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।"

(5) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-11-1224/दस-2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-20/2015/1256(1)/सत्तर-6-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ.प्र., इलाहाबाद।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ.प्र., इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, उ.प्र., इलाहाबाद।
5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ.प्र.।
6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ.प्र.।
7- समस्त कोषाधिकारी, उ.प्र.।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
9- निदेशक, पेंशन, उ.प्र., लखनऊ।
10- समस्त सम्बन्धित बैंक।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
12 उच्च शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
13 अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14 विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अखिलेश अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव

कार्यालय-ज्ञाप / शुद्धि-पत्र

संख्या-20/2015/1256/सत्तर-6-2015-17(39)/94 टी.सी., दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 का संलग्नक

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्विद्यालयों के दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों/प्राचार्यों का दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे व दिनांक 01-01-2006 से निर्धारित होने योग्य न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन

क्रम सं.	दिनांक 01-01-2006 के पूर्व लागू वेतनमान	दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा एकेडमिक ग्रेड पे		निर्धारित होने योग्य न्यूनतम पेंशन	निर्धारित होने योग्य न्यूनतम पारिवारिक पेंशन
1	8000-275-13500	15600-39100	6000	10800	6480
2	10000-325-15200	15600-39100	7000	12800	7680
3	12000-420-18300	15600-39100	8000	15160	9096
4	12000-420-18300 (चयन वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् देय)	37400-67000	9000	23200	13920
5	16400-450-22400	37400-67000	10000	25445	15267

(अखिलेश अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव।